



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

54-2020/Ext.]

CHANDIGARH, SUNDAY, APRIL 26, 2020 (VAISAKHA 6, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 अप्रैल, 2020

संख्या 6/2/2020-1 मंत्रिमंडल.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सत्यदेव नारायण आर्य, राज्यपाल, हरियाणा, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 1974, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) द्वितीय संशोधन नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 1974 में, अनुसूची में, "सामान्य प्रशासन विभाग (मुख्य सचिव के माध्यम से)" शीर्ष के नीचे, उप-शीर्ष "(छ) विदेशी सहकारिता" तथा उसके नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित उप-शीर्ष तथा उसके नीचे निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-

“(ज) नागरिक संसाधन सूचना

1. परिवार पहचान-पत्र ।
2. सूचना विज्ञान और सूचना अवसंरचना के उपयोग से सामान्य डेटाबेस के रूप में नागरिक संसाधनों के विकास की सूची तैयार करना ।
3. नागरिक सेवाओं के लिये सरकारी प्रदाय हेतु भू-सूचना विज्ञान सहित विभागों, सामान्य नेटवर्क तथा सूचना विज्ञान में सामान्य डेटाबेस का उन्नयन तथा विकास करना ।
4. सरकारी स्कीमों के कार्यान्वयन तथा सरकारी सेवाओं के प्रदाय हेतु शासन-नागरिक सहभागिता के लिए ई-शासन ।
5. विभागों और एजेंसियों द्वारा सरकारी सेवाओं के प्रदाय में अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों के उपयोग के लिए वैयक्तिक, पारिवारिक और संपत्ति डाटा को जोड़ने वाले लिन्कड डेटाबेस बनाना ।
6. ई-शासन तथा शासन सेवाओं के प्रदाय के लिए परिवार पहचान-पत्र को बढ़ावा देने हेतु सूचना अवसंरचना को स्थापित करना ।”

चण्डीगढ़:
दिनांक 24 अप्रैल, 2020

सत्यदेव नारायण आर्य,
राज्यपाल, हरियाणा ।

चण्डीगढ़:
दिनांक 24 अप्रैल, 2020

केशनी आनन्द अरोड़ा,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

HARYANA GOVERNMENT
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Notification

The 26th April, 2020

No 6/2/2020.-1Cabinet.- In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, I, Satyadeo Narain Arya, Governor of Haryana, hereby make the following rules further to amend the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules, 1974, namely:-

1. These rules may be called the Business of the Haryana Government (Allocation) Second Amendment Rules, 2020.

2. In the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules, 1974, in the Schedule under heading “GENERAL ADMINISTRATION (Through the Chief Secretary)”, after sub-head “(G) Foreign Cooperation and entries thereunder, the following sub-head and entries thereunder shall be added, namely:-

“(H) Citizen Resources Information

1. Parivar Pehchan Patra.
2. Development of Citizen Resource’s inventory as a common database with use of informatics and information infrastructure.
3. Promotion and development of common database across Departments, common networks and informatics including geoinformatics for delivery of Government to citizen services.
4. E-Governance for Government-Citizen engagement for implementation of Government schemes and delivery of Government services.
5. To establish linked database connecting individual, family and property data for utilization by other Government Departments and agencies in the delivery of Government services by the Departments and agencies.
6. To establish information infrastructure for Parivar Pehchan Patra, promotion of e-Governance and delivery of Governance Services.”.

Chandigarh:
The 24th April, 2020.

SATYADEO NARAIN ARYA,
Governor of Haryana.

Chandigarh:
The 24th April, 2020.

KESHNI ANAND ARORA,
Chief Secretary to Government Haryana.